निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 624/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सतरा पुत्री हरसहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दीपपुरा तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र शिवसहाय,
3. बाबूलाल पुत्र शिवसहाय,
4. मनोहरी पत्नी सीताराम,
5. गीता पुत्री हरसहाय,
6. घीसी पुत्री हरसहाय,
7. प्रेम पुत्री हरसहाय,
8. जगदीश पुत्र गोपी,

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दीपपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 154/2025 एवं 164/2025 ब उनवानी कृष्ण व अन्य बनाम ओमप्रकाश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामकरण शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री कमलेश शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 16.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष प्रकरण संख्या 154/2025 एवं 164/2025 ब उनवानी कृष्ण व अन्य बनाम ओमप्रकाश व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री कमलेश शर्मा, अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित रास्ता हेतु प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने पक्षकारों का कुसंयोजन कर सभी रिकॉर्डेड खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर न्यायालय से तथ्यों का गोपन कर मिथ्या आधारों पर प्रकरण प्रस्तुत किया है तथा रिकॉर्डेड खातेदारान को उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण तरतीबी संयोजित किया गया है तथा उक्त प्रकरण में

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति मौका रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र आदेश 17 नियम 1 सीपीसी का पेश किया गया, दिनांक 28.4.2025 को प्रकरण में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्रों का जवाब नहीं देकर सीधी बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस उपरांत प्रार्थना पत्रों के आदेश हेतु दिनांक 05.05.2025 नियत की गई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में गलती से अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि प्रकरण में अंतिम बहस नहीं हुई थी, ना ही प्रार्थीगण का जवाब बंद किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय के क्रम में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 गांव वालों से बोल रहे थे कि हमने उपखण्ड अधिकारी से साठ–गांठ कर ली है तथा स्टे खारिज करवा लेंगे और राजनैतिक दबाव डालकर भी फैसला करवा लेंगे। इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी–छोटी पेशी दी जा रहीं है तथा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले में व्यक्तिगत रूचि लिए जाने की वजह से प्रार्थीगण को कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को भी खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिनको मुंतकिल किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण विशेष में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में रिव्यू प्रार्थना पत्र पर सुनवाई भी संबंधित न्यायालय द्वारा ही किया जाना विधिसम्मत है, अतः मुंतकिल प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो। .

9. निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner